चुनाव/ बना अजीब संयोग

ो चुनाव, वार्ड बनी प्रधान

त्रिलोक चंद ने बीमारी का बहाना बनाकर रद्द कर दिया था। बाद में इसके लिए 20 मई का दिन निर्धारित किया गया। लेकिन इस दिन भी पालिका की राजनीति से जुड़े एक खेमे द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चले जाने के कारण इस चुनाव की तारीख 22 मई निर्धारित ... की बाजी खेल रही थी। चुनाव परिणाम आते ही जमकर भाजपा व कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के समर्थन मे जमकर नारेबाजी हुई।

एन्हांसमेंट का विरोध

प्रदर्शन की नहीं मिली मंजूरी

हिसार, 22 जून (हप्र)

सेक्टरवासियों पर डाली गई भारी भरकम एन्हांसमेंट के बोझ के विरोध में रविवार को किये जाने वाले विरोध प्रदर्शन और पुतलों की शवयात्रा के कार्यक्रम को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। इस वजह से सेक्टरवासियों में गहरा रोष है। सेक्टरवासियों, खासकर महिलाओं ने हुडा के ईओ सुमित कुमार को एन्हांसमेंट की

निकालनी थी पुतलों की शवयात्रा

हुडा कार्यालय में धरने के 5वें दिन सेक्टरवासियों को संबोधित करते हुए प्रधान जितेंद्र श्योराण ने कहा कि सेक्टरवासियों को रविवार को मुख्यमंत्री, हुडा के मुख्य प्रशासक और स्थानीय विधायक के पुतलों की शवयात्रा निकालकर उनका अंतिम संस्कार करके 13 दिन तक हुडा कार्यालय में शोक बैठक चलानी थी। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन किसी पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अधिकारियों द्वारा सेक्टरवासियों से किये गए बहुत बड़े अन्याय के खिलाफ है और सरकार के प्रति नाराजगी केवल यह है कि वह ऐसे अधिकारियों का बचाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम की मंजूरी न देकर सेक्टरवासियों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है, जो निंदनीय है।

डीसी ने की मिट्टी के बर्तन प्रयोग करने की अपील

नारनौल, 22 जून (अस)

पर्यावरण को देखते हुए डीसी डॉ. गरिमा मित्तल ने जिले के सरकारी कार्यालय में प्लास्टिक की बोतलों, कप का प्रयोग बंद कर मिट्टी के बर्तन प्रयोग करने का आह्वान किया है।

डीसी खुद भी मिट्टी से बने कप में चाय पीने का निर्णय लिया और अधिकारियों से भी अनुसरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे। आज आधुनिकता की चकाचौंध में इन बर्तनों से दूरी रही है। आज भी मटके के पानी स्वास्थ्य

... पर विचार नहीं किया जायेगा।

कानूनी वारिस : कविता पत्नी सुभाष,
संपदा अधिकारी की ओर से।

TRC-10465

सार्वजनिक सूचना

विषय : अलाटी/सह-अलाटी स्व. श्रीमती नरिन्दर देवी पत्नी श्री कस्तूरी लाल की वसीयत रहित मृत्यु होने पर निर्मित/अनिर्मित प्रापर्टी/प्लाट नं. 3394, सेक्टर-11, अर्बन एस्टेट, जींद के संबंध में स्वामित्व का हस्तांतरण।

रिकार्ड के अनुसार उक्त प्रापर्टी की अलाटी/सह-अलाटी स्व. श्रीमती नरिन्दर देवी की 05.01.2017 को मृत्यु हो चुकी है तथा पंजीकृत या अपंजीकृत वसीयत नहीं है, अपने पीछे निम्नलिखित कानूनी वारिस छोड़ गई हैं:- (1) कस्तूरी लाल-पति, (2) ... Laul-पुत्री, (3) अलका गांधी-पुत्री, (4) रचना ...-पुत्री, (5) ब्रिजेश सेतिया-पुत्र, (6) उमेश सेतिया-पुत्र

अलका गांधी पुत्री श्री कस्तूरी लाल निवासी 3394, सेक्टर-11, अर्बन एस्टेट, जींद ने कानूनी वारिस होने के नाते अपने पक्ष में उक्त प्रापर्टी की ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है तथा अलका गांधी के नाम पर पुनः अलाटमेंट हेतु आवेदन किया है।

यदि किसी व्यक्ति को आवेदक के पक्ष में उक्त प्लाट/मकान के हस्तांतरण संबंधी कोई एतराज है तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर संपदा अधिकारी, हूडा, जींद के कार्यालय में उचित प्रमाण सहित लिखित रूप में अपने एतराज बताये अन्यथा उक्त संपत्ति हूडा की नीति अनुसार संपदा अधिकारी द्वारा हस्तांतरित/पुनः अलाटमेंट कर दी जाएगी और बाद में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

कानूनी वारिस :
अलका गांधी पुत्री श्री कस्तूरी लाल
(संपदा अधिकारी, जींद की ओर से)

TRC-10405

मैसर्स ईशायू बिल्डवैल एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स

कोलोब्रेशन विद डीएलएफ न्यू गुड़गांव ऑफिसर (डेवलपर) प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट नं. 131, स्पलैंडर फोरम, प्लॉट नं. 3,जसौला डिस्ट्रिट सैंटर, नई दिल्ली–25

PUBLIC NOTICE

जबकि मैसर्स ईशायू बिल्डवैल एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड में बदलाव के लिये प्रक्रिया निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा की पॉलिसी मेमो सं.– पीए–51ए / 2015 / 2708 के तहत आई.टी.कॉलोनी एरिया 6.775 एकड़, गांव बहररामपुर, सैक्टर–58, गुरुग्राम लाईसेंस नं. 82 / 2010 दिनांक 12.10.2010 महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए।

और जबकि कई व्यक्तियों ने कहा, कालोनी में फ्लैटों के आबंटन के लिये बुकिंग की है (जिसे बाद में आबंटित कहा जाता है)

और जबकि, महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय को मैसर्स ईशायू बिल्डवैल एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड से स्पलैंडर बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्सी मॉनेट इंफ्राहाइट्स लिमिटेड और इंद्रा टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को बदलने के खिलाफ आक्षेप की आवश्यकता है।

तदनुसार, इस नोटिस के जरिए प्रस्तावित संशोधन पर कॉलोनी में से किसी भी आंबटित व्यक्ति से इस नोटिस को आमंत्रित किया गया है।

डेवलपर के परिवर्तन में प्रस्तावित संशोधन पर कोई भी आक्षेप होने पर, इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सीनियर टाउन प्लानर, गुरूग्राम के कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते है, जिसके तहत इस ग्रहण किया जाएगा कि डेवलपर के परिवर्तन में प्रस्तावित संशोधन के लिये कोई आपत्ति नहीं है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता)

मैसर्स ईशायू बिल्डवैल एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स
कोलोब्रेशन विद डीएलएफ न्यू गुड़गांव ऑफिसर, यूनिट नं. 131,
स्पलैंडर फोरम, प्लॉट नं. 3,जसोला डिस्ट्रिट सैंटर, नई दिल्ली–25

दिनांक: गुड़गांव
दिनांक: 22.06.2018

कार्यालय : अधिशासी अभियंता, एचएसएएम बोर्ड, जींद

निविदा सूचना नं. 17/2018

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नांकित कार्यों हेतु (ई-निविदा द्वारा) ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित हैं।

क्र.	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	निविदा फार्म की कीमत	आईटी इनिशिएटिव फंड	निविदा खोलने की तिथि	समय सीमा